

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/275(1)/मंत्री अनुशंषा पार्ट-3/19-20/

दिनांक : 12/06/2020

11521-30

उपायुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

बांसवाड़ा।

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत हैण्डपम्प निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग: आपका पत्रांक एफ ()/पं.स. तल/निर्माण/टीएडी/2019-20/384 दिनांक

24.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 41733-806 दिनांक 15.11.2019 द्वारा हैण्डपम्प निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत को नियुक्त किया गया।

प्रासंगिक पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 में वर्णित स्थानों पर हैण्डपम्प निर्माण कार्य हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

जिला-उदयपुर कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

प्रशा. स्वीकृति क्र.स.	क्र. स.	हैण्डपम्प निर्माण स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
					क्रमांक/दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6	7
2	1	हैण्डपम्प निर्माण- गोतम/अमजी के घर के पास ग्राम मलवासा	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1448/12.12.2019	0.70
3	2	हैण्डपम्प निर्माण- मन्दन/भेमजी के घर के पास ग्राम मलवासा	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1449/12.12.2019	0.70
9	3	हैण्डपम्प निर्माण कार्य- सोहन/लालू के घर के पास ग्राम शकरपुरा	ग्रा.पं. मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1450/12.12.2019	0.70
10	4	हैण्डपम्प निर्माण कार्य- नरेश/कमा के घर के पास, ग्राम मलवासा	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1451/12.12.2019	0.70
11	5	हैण्डपम्प निर्माण कार्य- सुरेश/भाभोर के घर के पास, ग्राम कालिपान	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1452/12.12.2019	0.70
15	6	हैण्डपम्प निर्माण कार्य- सिरा भावजी के घर के पास ग्राम शकरपुरा	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1453/12.12.2019	0.70
17	7	हैण्डपम्प निर्माण कार्य- भूरजी/कतेमा के घर के पास ग्राम मलवासा	मलवासा	तलवाड़ा	AEN/PS/TALWARA/ 1454/12.12.2019	0.70
					योग	4.90

कृ.पू.उ.

उपरोक्तानुसार राशि रू. 4.90 का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रू. 250.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

शर्त:-

1. स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना स्वीकृत/सम्पादित हो तो सूचित किया जावे।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
5. योजना में भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर ट्यूबवेल वैधन किया जावे। ट्यूबवेल वैधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com में प्रेषित करें।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
8. शासन के निर्देशानुसार हैण्डपम्प की स्थापना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मापदण्डानुसार (ट्यूबवेल वैधन व सामग्री) किया जावे तथा निर्माण पश्चात् भौतिक सत्यापन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से करवाया जावे।
9. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग स्वीकृत राशि सम्बन्धित पंचायत समिति को हस्तांतरित करेंगे।
10. हैण्डपम्प स्थान पर टी.ए.डी. की ग्रांट से निर्मित अंकित किया जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार).I.A.S
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/275(1)/मंत्री अनुशंषा पार्ट-3/19-20/
प्रतिलिपि -

115 21-30

दिनांक : 12/6/2020

1. विशिष्ट सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बांसवाडा।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2019-20 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रू. 250.00 लाख में से उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को राशि रू. 4.90 लाख हस्तांतरित करावे। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाडा।
7. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त

1. सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in